Result Mitra Daily Magazine

दिल्ली एनसीआर में लागू GRAP–4

❖ चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को दिल्ली सरकार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP–Graded Response Action Plan) के चरण–IV को लागू करने में देरी के लिए सवाल किया है।
- रविवार 17 नवंबर को "वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग" (CAQM, Commission for Air Quality Management) ने सोमवार को सुबह दिल्ली एनसीआर ने GRAP–IV को लागू करने का निर्देश जारी किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने GRAP–IV को दिल्ली में लागू करने के संबंध में कहा कि CAQM उपसमिति को GRAP–IV लागू करने की जिम्मेदारी सौंप गई थी एवं उसे दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को विशिष्ट सीमा तक पहुंचने से पहले पूर्वव्यापी कदम के रूप में GRAP–IV लागू करना चाहिए था।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रविवार शाम तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI, A Quality Index) 450 को पार कर गया था, अतः दिल्ली में GRAP–IV लागू किया जाना चाहिए था।
- हालांकि शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 450 से नीचे जाने पर भी GRAP–IV लागू रहनी चाहिए।

❖ GRAP क्या है ?

- GRAP यानि "ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान" दिल्ली–एनसीआर क्षेत्र में वायु की खराब गुणवत्ता को एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद हवा की गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए आपातकालीन उपायों का एक समूह है।

- GRAP को वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया।
- GRAP योजना को दिल्ली राज्य सरकार के प्रतिनिधियों एवं विशेषज्ञाें की पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA, Environment Pollution (Prevention and Control Authority) के साथ कई बैठकों के बाद तैयार की गई थी।
- दिल्ली–एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति के आधार पर GRAP को चार चरणों में विभाजित किया गया है।
- GRAP–I यानि पहला चरण तब लागू किया जाता है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी यानि 201 से 300 के स्तर तक होता है।
- वही GRAP–II को गुणवत्ता की बहुत खराब श्रेणी (301–400), GRAP–III को वायु गुणवत्ता की गंभीर श्रेणी (401 से 450) तथा GRAP–IV को वायु गुणवत्ता की गंभीर प्लस श्रेणी (450 से अधिक) के स्तर पर पहुंचने के बाद लागू किया जाता है।

❖ GRAP–IV क्यों लगाया जाता है ?

- GRAP–IV लागू करने का निर्णय वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा और मौसम संबंधी स्थितियों के पूर्वानुमान के बाद दिल्ली–एनसीआर क्षेत्र में लागू किया गया।
- मौसम संबंधी स्थितियों के पूर्वानुमान के आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली में घने कोहरे, परिवर्तनशील हवाओं और अत्यधिक प्रतिकूल मौसम और जलवायु परिस्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) प्रतिकूल सीमा में रहने की उम्मीद है, इसलिए दिल्ली NCR में GRAP–IV लागू किया जाना चाहिए।

❖ GRAP–IV के तहत क्या अनुमति है ?

- GRAP–IV के नियमों के तहत निम्न उपायों को उल्लेखित किया गया है :–

1. दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर ईवी (Electric Vehicle), सीएनजी/BS–IV डीजल वाहन एवं दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
2. सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस–IV डीजल ट्रैकों को दिल्ली में प्रवेश के अनुमति होगी।
3. आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली में पंजीकृत बीएस–IV और इससे नीचे डीजल चालित मध्यम माल वाहन और भारी माल वाहन के संचालक पर सख्त प्रतिबंध होगी।

Result Mitra TM

4. GRAP–IV के तहत लागू राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिजों, बिजली पारेषण, पाइपलाइनों, दूरसंचार आदि जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए निर्माण और विध्वंस करने वाली गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।
5. GRAP–IV लागू होने की स्थिति में एनसीआर की राज्य सरकारें एवं दिल्ली सरकार छठी से 11वीं कक्षा तक के सभी कक्षाएं बंद करने एवं ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्णय ले सकती है।
6. एनसीआर की राज्य सरकारें/दिल्ली सरकार सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घरों से काम करने की अनुमति देने का निर्णय ले सकती है।
7. केंद्र सरकार दिल्ली–एनसीआर क्षेत्र में कार्यरत अपने सरकारी कार्यालयों के लिए घर से काम करने की अनुमति पर उचित निर्णय ले सकती है।
8. दिल्ली–एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें कॉलेजों/शैक्षिक संस्थानों को बंद करने सहित गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करने का निर्णय ले सकती है।
9. दिल्ली–एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें पंजीकरण संख्या के सम–विषम (Odd–Even) वाहनों को चलाने की अनुमति देने जैसे वायु गुणवत्ता सुधारने संबंधी अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती है।
10. दिल्ली–एनसीआर की राज्य सरकारें अपने नागरिकों को GRAP के तहत किया जा रहे उपायों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नागरिक चार्टर का पालन करने एवं क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने में सहायता करने का आग्रह कर सकती है।

❖ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) :

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानि CAQM एक वैधानिक निकाय है, जिसे वर्ष 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR, National Capital Region) और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए स्थापित संस्थान है।
- CAQM के सदस्यों में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधि सहित पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के प्रतिनिधि तथा नीति आयोग, प्रदूषण विशेषज्ञ संस्थान और गैर–सरकारी संगठनों (NGO's) के प्रतिनिधि शामिल रहते है।
- CAQM, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) के स्थान पर लाया गया।

❖ पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण :

Result Mitra TM

- पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA, Environment Pollution (Prevention and Control)Authority)को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 के तहत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वर्ष 1998 में अधिसूचित किया गया था।
- EPCA के द्वारा ही दिल्ली–एनसीआर क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर के आधार पर ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (GRAP) लागू किया जाता है।
- हालांकि वर्ष 2021 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अधिसूचित होने के बाद EPCA को समाप्त कर दिया गया।
- वर्तमान में दिल्ली–एनसीआर क्षेत्रों में ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (GRAP) लागू करने का काम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) करती है।

❖ वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) :

- वायु गुणवत्ता सूचकांक यानि AQI (Air Quality Index) सरकारी एजेंसी द्वारा विकसित एक संकेतक है, जो वर्तमान समय की वायु गुणवत्ता के प्रदूषित या प्रदूषित होने का अनुमान लगती है।।
- AQI की गणना के लिए एक निर्दिष्ट औसत अवधि में वायु प्रदूषक सांद्रता की गणना करके किया जाता है।
- भारतीय AQI का रेंज 0 से 500 है।
- 0 से 50 की AQI को शुद्ध वायु गुणवत्ता तथा 51 से 100 AQI को संतोषजनक वायु गुणवत्ता की श्रेणी में रखा जाता है।

Result Mitra TM